तटीय सुरक्षा स्की म

भारत का समुद्र तट

भारत का समुद्र तट 7516.6 किमी लम्बार है जो मुख्य9 भूमि और द्वीपों की तटवर्ती सीमा है और गुजरात (1214.70 किमी), महाराष्ट्र (652.60 किमी), गोआ (101.00 किमी), कर्नाटक (208.00 किमी), केरल (569.70 किमी), तमिलनाडु (906.90 किमी), आंध्र प्रदेश (973.70 किमी), उड़ीसा (476.70 किमी) और पश्चिम बंगाल (157.50 किमी) और संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव (42.50), लक्षदीप (132.00), पुडुचेरी (47.60 किमी) और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (1962.00 किमी) से गुजरती है।

वर्तमान तटीय सुरक्षा व्यूवस्था6

आईएन को समग्र समुद्री सुरक्षा व्य वस्था6 के लिए उत्तमरदायी प्राधिकारी नामोदिष्टव किया गया है जिसमें तटवर्ती सुरक्षा तथ अपतटवर्ती सुरक्षा भी शामिल है। आईएन की सहायता के लिए भारतीय सुरक्षा गार्ड(आईसीजी), राज्यै तटीय पुलिस तथा अन्य केंद्रीय तथा राज्य7 एजेंसियां हैं।

आईसीजी तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाये जाने वाले क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय समुद्र जल में तटवर्ती सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्तस रूप से उत्त रदायी है। डीजी, आईसीजी को कमांडर तटीय कमांड के रूप में नामोदिष्टक किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय और राज्यष एजेंसियों के बीच समग्र समन्वुय के लिए उत्त रदायी होंगे।

तटीय सुरक्षा स्कीीम – सिंहावलोकन

सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा स्कीमम (सीएसएस) का कार्यान्वययन चरणों में कर रहा है और इसका उद्देश्यट तटवर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के नजदीक उथले क्षेत्रों की गश्तक और निगरानी के लिए तटीय पुलिस की अवसरंचना तथा क्षमताओं को मजबूत बनाना है।

तटीय सुरक्षा स्कीनम (चरण-1) :

तटीय सुरक्षा स्कीनम (चरण-1) का कार्यान्वमयन 2005 से 2011 तक किया गया था। स्की म के अधीन तटवर्ती राज्योंी/संघ राज्यस क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस थाने (सीपीएएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्टस, 30 बैरक, 204 इन्टषरसेप्टहर नाव, 153 जीपें और 312 मोटर साईकिलें मुहैया करायी गयी थीं।

तटीय सुरक्षा स्की०ाम (चरण-2) :

स्की म के चरण-2 के अधीन तटवर्ती राज्यों्/संघ राज्य0 क्षेत्रों को 131 सीपीएस, 60 जेट्टी, 10 मेरिन ऑपरेशन सेंटर, 225 नावें, 131 चौपहिए वाहन और 242 मोटर साईकिले मंजूर की गयी हैं। इस स्कीटम का चरण-2, 31.03.2020 तक कार्यान्वययन के अधीन रहेगा।

तटीय सुरक्षा स्कीरमें

तटीय सुरक्षा स्कीरम चरण-1

73 तटीय पुलिस स्टे शनों (सीपीएएस), 97 जांच चौकियों, 58 आउटपोस्टोंह, 30 बैरकों, 204 नावों, 153 जीपों और 312 मोटर साइकिलों के साथ यह चरण मार्च, 2011 में पूर्ण कर लिया गया है।

तटीय सुरक्षा स्की।म (चरण-2)

स्की म में समुद्री गश्त(के लिए तटीय राज्योंि और संघ राज्यच क्षेत्रों को अतिरिक्ति अवसंरचनात्माक सहायता प्रदान करके और भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल, आदि द्वारा की जा रही अन्यम तटीय सुरक्षा पहलों की सहायता की दृष्टि से तटीय सुरक्षा चरण-1 स्कीतम में निर्धारित लक्ष्योंत को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया है। तटीय सुरक्षा चरण-2 स्कीसम को 1579.91 करोड़ रुपये के परिव्य य से दिनांक 01.04.2011 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्व9यन के लिए मंजूर किया गया है। इस स्की म की कार्य अवधि दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2020 तक के लिए बढ़ायी गयी है।

तटीय सुरक्षा स्कीषम के चरण-2 के तहत 131 तटीय पुलिस स्टेीशनों, 180 नावों, 60 जेट्टियों, 10 बड़े पोतों (ए एंड एन), 131 चौपहिया वाहनों, 242 मोटर साईकिलों, 10 मेरिन ऑपरेशन सेंटरों और 35 रिजिड इनफलैटेबल नावों को शामिल किया गया है।